रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 238] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 1983/ज्येष्ठ 10, 1905
No. 238] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 1983/JYAISTHA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मई, 1983

का. आ. 384(अ)/18-क/आई. डी. आर. ए./83 :— भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 157(अ)/18-क./आई. डी. आर. ए./79, तारीख 27 मार्च, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) कलकत्ता स्थित मैसर्स लिलि बिस्कुट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड और लिलि बारले मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड नामक औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध 27 मार्च, 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और पश्चिमी बंगाल सरकार के रुग्ण और बन्द उद्योग विभाग कलकत्ता के सचिव जिसे अब औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, कलकत्ता के नाम से जाना जाता है को प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी बना रहे, 31 मई, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे बने रहने के लिए समय-समय पर निदेश जारी किए थे [देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 178(अ)/18-क/औ. वि. वि. अ./82, तारीख 26 मार्च, 1982, का. आ. 688 (अ) 18-क/आई. डी. आर. ए./82, तारीख 25 सितम्बर, 1982] ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 दिसम्बर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि 27 मार्च, 1979 का उक्त आदेश 31 दिसम्बर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 2(3)/80-सी.यू.एस.]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st May, 1983

S.O. 384(E)|18A|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 157(E)/18A/IDRA/79, dated the 27th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Industrial Undertakings known as Messrs. Lily Biscuit Company (Private) Limited and Messrs. Lily Barley Mills (Private) Limited, both located at Calcutta, had been taken over for a period of three years with effect from the 27th March, 1979 and the Secretary to the Government of West Bengal in the Department of Sick and Closed Industries, now known as Department of Industrial Reconstruction, Calcutta, was appointed as "Authorised Controller";

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st May 1983 (vide Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 178(E)|18A|IDRA|82 dated the 26th March, 1982 and S.O. 688(E)|18A|IDRA|82 dated the 25th September, 1982);

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should coninue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 o 1951), the Central Government hereby directs that the said Order dated the 27th March, 1979 shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1983.

[F. No. 2(3)/81-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983